



2025:RJ-JP:45388

[2025:RJ-JP:45388]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13452/2025

1. Sachin Kumar S/o Shri Anil Kumar, Aged About 20 Years, R/o Ghiloth, Police Station Shahjahanpur, District Kotputali-Behror.
2. Vinit Singh @ Monu S/o Shri Vikram Singh, Aged About 25 Years, Urika, Police Station Surajgarh, District Jhunjhunu (Raj). (At Present Confined in Sub District Jail Behror)

-----Petitioners

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vinay Pal Yadav, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

12/11/2025

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना शाहजहांपुर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 144/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, लंबे समय से अभिरक्षा में हैं, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से बरामद मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से



कम है, प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक का निवेदन है कि यद्यपि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है, परंतु अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से बरामद डोडा चुरा की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. सचिन कुमार पुत्र अनिल कुमार**
2. विनित सिंह उर्फ मोनू पुत्र विक्रम सिंह की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु प्रत्येक एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करें तथा उनकी किसी



2025:RJ-JP:45388

[2025:RJ-JP:45388]

(3 of 3)

[CRLMB-13452/2025]

अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर
रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /149 (8)